संख्याः 550/1–2–2006–रा–2

प्रेषक,

योगेश कुमार
सचिव
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर–प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 23 फरवरी, 2006

विषयः– गांव सभा में निहित ताल पोखरों, मिनाशयों एवं जल प्रणालियों के संबंध में रिट याचिका संख्या 31943/02 राम भरोसे बनाम राज्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.08.02 का अनुपालन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि गांव सभा में निहित ताल पोखरों, मीनाशयों एवं जल प्रणालियों के प्रबन्धन हेतु शासनादेश संख्या 3736/1–2–95–रा–2,दिनांक 17.10.95 से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मा0 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 31943/02 राम भरोसे बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 07.08.02 को यह आदेश पारित किए थे कि वर्तमान परिवेश में जातिगत आधार पर पट्टे दिया जाना उचित नही है तथा अशोक कुमार बनाम राज्य 1995–ए.सी.जे–1016 एंव पांचू बनाम कलेक्टर–1999(1) ए0डब्लू0सी0 817 में पारित निर्णयों से सहमति व्यक्त करते हुए शासनादेश दिनांक 17.10.95 को निष्प्रभावी कर दिया।

2– उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2002 में संदर्भित उपर्युक्त याचिकाएं अशोक कुमार बनाम राज्य तथा पांचू बनाम राज्य जो इसी विषय पर आधारित थी, पूर्ण पीठ को संदर्भित हुई जिसे राम कुमार बनाम राज्य याचिका से सम्बद्ध करके मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ ने दिनांक 29.09.05 में दिए गए निर्णय (प्रति संलग्न) में मत्स्य पालन की सार्वजनिक नीलामी के स्थान पर वरीयता के अनुसार पट्टे द्वारा व्यवस्था करने के राज्य सरकार के अधिकार को वैध माना है ताकि समाज के कमजोर वर्गो को लाभ मिल सके।

3– उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या 3736/1–2–95–राज0–2, दिनांक 17.10–95 के अनुसार ही अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय
ह0/
(योगेश कुमार)
सचिव